

28

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

2020/00250

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

16.12.2020 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत कमल पुत्र नैहन्या जाति चमार (बैरवा) निवासी बाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा की ओर से श्री तरुण कुमार शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया गया। प्रार्थीगण के वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार गंगापूर सिटी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 13.01.2021 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (सं०मा०)

13-1-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील वाबी/प्रतिवादी/
~~अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/समयक्ष~~
उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् ~~अपील~~
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-1-2021
को पेश हो।

रीडर

25-1-2021 वकील प्रार्थी उप०/ तहसीलदार गंगापूर
की से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वदस सुनी
की जा०ध 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता
है। रिपोर्ट निर्दिष्ट पृथक से लिखा जाकर पत्रावली
में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
के अन्तर्गत से कम हो एवं बाद तहसील
की तलबी हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी



1. कमल पुत्र नैहन्या, चमार(बैरवा) निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
2. घनश्याम पुत्र नैहन्या, चमार(बैरवा), निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
3. मरोसी पुत्र नैहन्या, चमार(बैरवा), निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
4. राजू पुत्र नैहन्या, चमार(बैरवा), निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
5. शंकर पुत्र रामचन्द्रया, चमार(बैरवा), निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
6. बादामी पुत्री रामचन्द्रया पत्नी रामकेश, चमार(बैरवा), निवासी बाढ सलेमपुर
7. रूमाली पुत्री रामचन्द्रया पत्नी कारू, चमार(बैरवा), निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा

—प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

परिस्थित :-श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की भूमि हॉल ख0न0 543 रकबा 0.30 है0, ख0न0 544 रकबा 0.39 है0, ख0न0 545 रकबा 0.45 है0, ख0न0 547 रकबा 0.24 है0, ख0न0 548 रकबा 0.33 है0, ख0न0 588 रकबा 0.33 है0, ख0न0 588/900 रकबा 0.47 है0, ख0न0 589 रकबा 0.24 है0, ख0न0 597 रकबा 0.16 है0, ख0न0 598 रकबा 0.09 है0, ख0न0 599 रकबा 0.07 है0, ख0न0 600 रकबा 0.12 है0, ख0न0 601 रकबा 0.22 है0, ख0न0 602 रकबा 0.06 है0, ख0न0 603 रकबा 0.13 है0, ख0न0 605 रकबा 0.20 है0, ख0न0 606 रकबा 0.13 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 3.94 है0 ग्राम छाबा तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार अपनी अपनी भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 बाढसलेमपुर के रहने वाले है तथा प्रार्थी संख्या 6, 7 भी मूल रूप से बाढ सलेमपुर की रहने वाले है। उनका विवाह हो चुका है तथा वर्तमान में वे अपने ससुराल में रह रहे है। इस तरह सभी प्रार्थीगण मूलरूप से बाढ सलेमपुर के रहने वाले है। प्रार्थीगण के सभी सरकारी एवं गैरसरकारी कागजात में प्रार्थीगण का निवास स्थान बाढ सलेमपुर है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का निवास स्थान बाढ सलेमपुर की स्थान पर बाढ मिलकपुर कर दिया है। बाढ मिलकपुर से प्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि खाता संख्या 1 ता 5 बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा के स्थान पर बाढ मिलकपुर तह0 सपोटरा किया जावे।



प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं० 2071 से 2074 खाता संख्या 217 ग्राम छाबा प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि पटवारी द्वारा ग्राम बाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा में जाकर ग्रामवासियों से जानकारी करने पर ग्रामवासियों ने बताया कि कमल, घनश्याम, भरोसी, राजू पुत्रान नेहन्या, शंकर पुत्र रामचन्द्रया, बादामी, रूमाली पुत्रीयान रामचन्द्रया जाति चमार बाढ सलेमपुर के निवासी हैं। प्रार्थीगण की खातेदार ग्राम छावा में स्थित है लेकिन प्रार्थीगण की जमाबंदी में ग्राम का नाम बाढ मिलकपुर हो रहा है। प्रार्थीगण के राशनकार्ड, पहचानपत्र में निवासी बाढ सलेमपुर अंकित हो रहा है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण का निवास स्थान ग्राम बाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा है लेकिन वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का निवास स्थान बाढ मिलकपुर दर्ज हो रहा है। इसकी दुरुस्ती फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का निवास स्थान ग्राम बाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा है लेकिन प्रार्थीगण का निवास स्थान वादग्रस्त राजस्व अभिलेख में बाढ मिलकपुर दर्ज किया हुआ है। अतः प्रार्थीगण का ग्राम बाढ मिलकपुर के स्थान पर बाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा दुरुस्त किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम छाबा की जमाबंदी सं० 2071 से 2074 के खाता संख्या 217 में दर्ज प्रविष्टि "सा० बाढमिलकपुर" के स्थान पर प्रविष्टि "सा० बाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल कर हो।

निर्णय आज दिनांक २५-११-२० को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)